CBI Chargesheet against IAS Officials of Punjab for Disproportionate Assets

3563. SHRI AMAR SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether CBI has chargesheeted senior IAS officials of the Punjab Government for amassing assets disproportionate to their known sources of income;

(b) if so, the details thereof, including the charges against each officials; and

(c) whether these officials have since been suspended; if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S. R. BALASUBRAMONIYAN): (a) to (c) No, Sir. The Central Bureau of Investigation has, at the request of the State Government of Punjab, registered a regular case against an IAS officer on the allegations of possession of assets disproportionate to the known sources of income for investigation on 25.2.1997.

जिला और ब्लाक स्तर पर शिकायत निवारण मशीनरी स्थापित किया जाना

3564. **श्री ईश दत्त यादव:**
श्री नागमणि:

क्या प्रधान मंत्री 13 मार्च, 1997 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1965 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का जिला और ब्लाक स्तर पर सार्वजनिक शिकायत निवारण मशीनरी स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री एस० आर० बालासुब्राह्मण्यन): (क) और (ख) राज्य, जिला और ब्लाक स्तरों पर लोक शिकायतों पर विचार करने और उनका निवारण करने का कार्य मुख्यतः राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। इस तरह की शिकायतों के निवारण तंत्र का गठन भी उन्हीं के द्वारा किया जाना होता है। अलग-अलग राज्य सरकारों ने विभिन्न स्तरों पर कई तरह के शिकायत निवारण तंत्र गठित किये हैं।

उपभोक्ताओं को रसोई गैस कनेक्शन जारी करने के लिये दिशा-निर्देश

3565. **श्री राम जेठमलानी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सामांय उपभोक्ताओं को रसोई गैस कनेक्शन अब तक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा आवंटित किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन कंपनियों को कनेक्शन देने के लिये कोई दिशा-निर्देश जारी किये गये है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रत्येक तेल कंपनी द्वारा किस-किस तारीख तक आवेदन करने वाले उपभोक्तओं को रसोई गैस कनेक्शन दिये जा चुके हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० आर० बालू): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) एल पी जी कनेक्शन, प्रतीक्षा सूचीबद्ध ग्राहकों को उनके पंजीकरण की परिपक्वता पर किसी खास डिस्ट्रीब्यूटर को कनेक्शन जारी किये जाने पर जिसे वर्ष के कुल नामांकन योजना द्वारा निर्णीत किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास उपलब्ध स्लैक, प्रतीक्षा सूची, इत्यादि पर निर्भर करते हुये पहले आओं पहले पाओं आधार पर जारी किये जाते हैं। आगे, वर्तमान वर्ष के दौरान कनेक्शन जारी करने के संबंध में निम्नांकित श्रेणी को वरीयता दी जा रही है:

1. 2000 फीट से अधिक ऊंचाईवाले पहाड़ी क्षेत्र।
2. ताज ट्रेपजियम क्षेत्र।
3. नई डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का शुभारंभ।
4. 1 जनवरी, 1991 से पहले प्रतीक्षा सूचीबद्ध लोग।
5. तत्काल योजना।
6. अव्यवहार्य डिस्ट्रीब्यूटर।
7. वरीयता के आधार पर जारी किये जाने वाले।

(घ) सरकार ने 1 जनवरी, 1991 के पहले के पंजीकृत सभी लोगों को चालू वर्ष के दौरान उत्तरोत्तर क्रम में एल पी जी कनेक्शन जारी करने के लिये तेल कंपनियों को निर्देश दिया है।